पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 18 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रदेश में व्यापक रूप से उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों के अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट आदि से जैव ऊर्जा उत्पन्न करने की अपार सम्भावनाएं हैं, जिसका उपयोग कर जैव ऊर्जा का उत्पादन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022' घोषित की गयी है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए जैव ऊर्जा संयंत्रों पर अनुदान, प्रोत्साहन, भूमि, फीड स्टॉक, परिवहन आदि के लिए राज्य सहायता का प्राविधान नीति में किया गया है।

प्रदेश में उपलब्ध बायोमास का अनुकूलतम उपयोग कर अधिकाधिक जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, लक्ष्यों की प्राप्ति एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत 'उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022' में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

प्रस्तावित संशोधनों में भारत सरकार द्वारा जारी स्पेशल असिसटेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट गाइड–लाइन्स तथा केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्गत मॉडल सी0बी0जी0 पॉलिसी व स्टेक होल्डर्स द्वारा दिये गये सुझावों का समावेश किया गया है।

कृषि विभाग तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025–26 में उपलब्ध कराये गये फसल उत्पादन तथा चीनी मिल के गन्ना पेराई के आंकड़ों के आधार पर कम्प्रेस्ड बायोगैस (धान की पराली तथा प्रेस मड) एवं बायोकोल (मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदों, उर्द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, सन, मिलेट्स, सेरियल, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, सूरजमुखी आदि) की अधिकतम उत्पादन क्षमता का आकलन किया गया है।

नीति में कम्प्रेस्ड बायोगैस एवं बायोकोल में जनपदवार अधिकतम सीमा लक्ष्य से अधिक रखी गई है, जिससे परियोजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु बफर उपलब्ध रहे।

————————

उ0प्र0 पर्यटन नीति–2022 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर निर्णय लिए जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्रदेश में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को बेहतर आतिथ्य सत्कार उपलब्ध कराने एवं पर्यटन के बहुमुखी विकास हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 प्रख्यापित की गई है। निवेशकों के सुविधार्थ ईज ऑफ डूईग बिजनेस की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पर्यटन नीति–2022 के नियमों एवं प्रक्रियाओं के सुस्पष्ट सरलीकृत होने से प्रदेश में निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा।

फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन (FTD) से पर्यटन स्थलों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित होगा और प्रशासनिक समन्वय बेहतर होने से इन विशिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कृषि पर्यटन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ईको–टूरिज्म को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे किसानों की अतिरिक्त आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए साधन विकसित होंगे।

व्यंजन पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय खान–पान से जुड़े व्यवसायों, एम0एस0एम0ई0 और उद्यमियों को सीधा आर्थिक लाभ होगा, जिससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान के साथ–साथ आतिथ्य सत्कार क्षेत्र (Hospitality Sector) का विकास होगा। सांस्कृतिक केन्द्र 'परम्परा इकाइयों' की स्थापना से राज्य के हस्तशिल्प (ODOP) और पारम्परिक सांस्कृतिक कला को एक नया संगठित बाजार मिलेगा, जिससे कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

आध्यात्मिक व बुन्देलखण्ड परिपथों (Circuits) के जुड़ने से बुन्देलखण्ड जैसे कम विकसित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास होगा और आध्यात्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन बढ़ने से क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आजीविका के साधन बढ़ेंगे।

बजट होटल कमरों की न्यूनतम संख्या घटाने से छोटे निवेशकों और स्थानीय निवासियों को पर्यटन क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे किफायती आवास सुविधाओं का तेजी से विकास होगा।

फार्म स्टे को बढ़ावा देने से कृषि और पर्यटन का सीधा जुड़ाव होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और एग्रो टूरिज्म के जरिए रोजगार सृजित होंगे। रूरल होम स्टे से जुड़ने पर ग्रामीण और शहरी होमस्टे का सुव्यवस्थित व मानकीकृत संचालन सुनिश्चित होगा।

वे–साइड एमिनिटीज के विकास से ट्रांजिट पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उप–पट्टा (Sub-Lease) की अनुमति से निवेशकों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' आसान होगा।

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे योजना में बदलाव से होमस्टे संचालकों को घरेलू दरों और त्वरित अनुमोदन का लाभ मिलेगा, जिससे कम लागत पर आवासीय पर्यटन सुविधाओं का तेजी से और बड़े पैमाने पर विकास होगा।

स्टाम्प शुल्क में छूट से राजमार्गों और एक्सप्रेस–वे पर पर्यटन सुविधाओं के विकास में पूंजीगत लागत कम होगी, जिससे राज्य में कॉरपोरेट और निजी निवेश को भारी प्रोत्साहन मिलेगा।

पर्यटन अनुसंधान एवं प्रलेखन प्रकोष्ठ (Tourism Research and Documentation Cell) की स्थापना से अन्तर विश्लेषण, प्रभाव अनुश्रवण और सांख्यिकीय प्रतिरूपण से आंगन्तुको की संतुष्टि बढ़ाई जा सकेगी और सार्वजनिक व्यय का अधिकतम सदुपयोग हो सकेगा। नीति के अधीन सम्बन्धित डाटा समूहों सहित सभी शोधों के लिए किसी कोष के रूप में भी कार्य करेगा।

पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन मिलने से राज्य के पर्यटन उत्पादों की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ब्रांडिंग होगी, जिससे प्रदेश में विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या में सीधा इजाफा होगा। प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एवं विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।

————————

आशा, शहरी आशा एवं आशा संगिनियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समाज में दिए जा रहे योगदान हेतु उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने आशा एवं शहरी आशा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियमित गतिविधियों हेतु प्राप्त हो रहे 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि तथा आशा, शहरी आशा एवं आशा संगिनियों को राज्य बजट से प्रतिमाह प्राप्त हो रहे 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि में आशा, शहरी आशा एवं आशा संगिनियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार के बजट से बढ़ाते हुए, कुल 4,500 रुपये प्रतिमाह नियमित गतिविधियों हेतु प्रोत्साहन राशि किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से 74 गतिविधियों में से, 66 अन्य गतिविधियों के सापेक्ष प्रतिमाह प्राप्त होने वाले अधिकतम 9,650 रुपये की प्रोत्साहन राशि (इन्सेन्टिव) के अतिरिक्त, आशा, शहरी आशा एवं आशा संगिनियों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की गतिविधियों हेतु राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त रूप से 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि (इन्सेन्टिव) के रूप में दिए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया है।

————————

आई0आई0टी0 कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू–हब के भवन निर्माण के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0), कानपुर के नोएडा परिसर में ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत ' डीप टेक यू–हब ' के भवन निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित संशोधित कुल लागत 28103.88 लाख रुपये के व्यय प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

मंत्रिपरिषद ने परियोजना को निर्धारित गुणवत्ता मानकों, टेण्डर नियमों तथा पर्यावरण अनापत्तियों के अधीन समयबद्ध रूप से प्रारम्भ करने हेतु शासनादेश निर्गत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यकतानुसार अन्य निर्णय लिए जाने/संशोधन किए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है।

ज्ञातव्य है कि व्यय भार में केन्द्र सरकार की भागीदारी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्राविधानित 100 करोड़ रुपये (30 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में एवं 70 करोड़ रुपये राजस्व मद में) बजटीय व्यवस्था के अतिरिक्त, शेष वित्तीय आवश्यकता हेतु वित्त विभाग से परामर्श के उपरान्त, चरणबद्ध बजटीय प्राविधान की स्वीकृति पृथक रूप से प्राप्त की जाएगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य 24 माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

इस हब के अन्तर्गत मुख्य रूप से क्वाण्टम एण्ड एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग, सेमीकण्डक्टर डिजाइन एवं OSAT, फिजिकल ए0आई0 एण्ड रोबोटिक्स, डिफेन्स टेक्नोलॉजी तथा बायोटेक्नोलॉजी (नवीन ए0पी0आई0 खोज, प्रिसिजन मेडिसिन व जीनोमिक्स) जैसे अत्याधुनिक विषय सम्मिलित होंगे।

हब की स्थापना से राज्य में नवाचार सम्बन्धी अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कार्यरत स्टार्टअप्स को आवश्यक दिशा–निर्देशन एवं सहयोग किया जाएगा। फलस्वरूप सफल स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ स्टार्टअप्स की गुणवत्ता में भी बढ़ोत्तरी होगी।

यू–हब (डीप–टेक हब) का सेक्शन 8 कम्पनी के रूप में पंजीकृत संस्था होगी, जो कि प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देगी। राज्य में नये स्टार्टअप्स की स्थापना से नये रोजगार उत्पन्न होंगे।

————————

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण हेतु युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज भूमि गाटा संख्या–181 रकबा 2.476 हे0 भूमि खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण हेतु युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज भूमि गाटा संख्या–181 रकबा 2.476 हे0 भूमि खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

स्टेडियम का निर्माण हो जाने से उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इस अवस्थापना सृजन से प्रदेश के खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित होंगे। स्टेडियम के निर्माण कार्य से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा।

————————

'उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली–2026' के प्रख्यापन का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली–2026' को प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित Compensation Scheme for Women Victim Survivor of Sexual Assault/Other Crimes-2018 योजना के समतुल्य बनाए जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 154 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) संख्या–255/60–3–2015–13(11)/14, दिनांक 06 फरवरी, 2015 को अवक्रमित करते हुए नवीन नियमावली प्रस्तावित की गयी है। भविष्य में इस नीति में कोई भी परिवर्तन मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के अधीन होगा।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को त्वरित राहत प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जघन्य हिंसा या अपराध की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।

उक्त नियमावली के अन्तर्गत जीवन हानि, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार, किसी अंग अथवा शारीरिक भाग की हानि के परिणामस्वरूप स्थायी दिव्यांगता, भ्रूण की हानि अर्थात हमले के परिणामस्वरूप गर्भपात अथवा प्रजनन क्षमता की हानि, विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक, विक्टिम्स ऑन बर्निंग, नाबालिग से बलात्कार, बालकों का अश्लील प्रयोजनों हेतु प्रयोग, बालक के साथ पेनेट्रेटिव लैंगिक हमले के साथ मृत्यु आदि हेतु पृथक–पृथक श्रेणी में क्षतिपूर्ति धनराशि 01 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक प्रस्तावित की गयी है। साथ ही, पीड़िताओं हेतु चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था तथा एसिड अटैक/यौन हमले की पीड़िताओं हेतु चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था एवं सेण्टर ऑफ एक्सिलेंस आदि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

————————

भारत सरकार की Regional Connectivity Scheme-Modified UDAN (Next Phase of the UDAN Scheme) के अन्तर्गत एम0ओ0यू0 निष्पादन के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार की Regional Connectivity Scheme-Modified UDAN (Next Phase of the UDAN Scheme) के अन्तर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 के निष्पादन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन उ0प्र0 को तथा एम0ओ0यू0 के अनुसार 02 नोडल अधिकारी नामित करने हेतु अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अधिकृत किया गया है। प्रकरण में यथापेक्षित विचलन अथवा अन्य कोई निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 04 जुलाई, 2026 को लागू इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आर0सी0एस0 कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर विमानन ईंधन पर 01 प्रतिशत अथवा उससे कम दर से वैट, निःशुल्क अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं, रियायती दरों पर बिजली, पानी तथा अन्य जनोपयोगी सेवाएं, यथावश्यकता भूमि एवं कनेक्टिविटी तथा वायबिलिटी गैप फण्डिंग में 20 प्रतिशत राज्यांश उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के छोटे शहरों तथा धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों की हवाई सम्पर्कता बढ़ेगी और व्यापार, पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार को बल मिलेगा।

————————

जनपद लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा द्वारा 4.51 हे0 भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ को–ऑपरेटिव एण्ड कॉरपोरेट मैनेजमेण्ट, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा, जनपद लखनऊ द्वारा 4.51 हे0 भूमि सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ को–ऑपरेटिव एण्ड कॉरपोरेट मैनेजमेण्ट, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, लखनऊ (आई0सी0सी0एम0आर0टी0) को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह देश का प्रथम राज्य सहकारी महाविद्यालय होगा।

मंत्रिपरिषद ने उपर्युक्त भूमि का बैनामा आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ के पक्ष में किए जाने में लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया है। प्रस्तावित राज्य सहकारी महाविद्यालय या उससे सम्बन्धित प्रकरण में भविष्य में किसी संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता होने पर निर्णय लिए जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

सहकारिता क्षेत्र में कुशल पेशेवर तैयार करने हेतु महाविद्यालय में पारम्परिक विषयों के साथ–साथ ए0आई0, साइबर क्राइम, कम्प्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे अत्याधुनिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। अत्याधुनिक राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह महाविद्यालय गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा।

————————

त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 (भाग 1 से 18 तक) को राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तुत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 (भाग 1 से 18 तक) को राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायतीराज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम–186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम–176 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जाएगी।

————————